|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  **इंपेरिकल डाटा: नौटंकी का खेल..** (पूर्वाध) --- प्रोफे. श्रावण देवरेमहाराष्ट्र में ओबीसी के राजनैतिक आरक्षण को लेकर 2016 से फडणवीस सरकार की उछल कूद और बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार की नौटंकी का खेल हम सब देख ही रहे हैं! अध्यादेश निकालना, नोटीफिकेशन की घोषणा करना,जी आर निकालना, राज्यपाल से हस्ताक्षर का आग्रह करना इत्यादि टाइमपास करने वाले खेल खेलना जारी है। **सुप्रिम कोर्ट द्वारा इनकी कमर पर बारंबार लात मारने** **के बावजूद ये सारे राजनैतिक दल सुधरने को तैयार नहीं हैं।** राजनैतिक दलों के ये सब नौटंकी के खेल कम पड़ रहे थे शायद इसीलिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सुप्रिम कोर्ट में मदारी का खेल खेलना चाहा। इंपेरिकल डेटा के नाम पर ओबीसी का आंकड़ा 39% पर्सेंट तक गिराने का पराक्रम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने करके दिखाया, फलस्वरूप फिर सुप्रिम कोर्ट की लात कमर पर पड़ी। उसके बाद नियुक्त किया गया- **"डेडीकेटेड आयोग"।**डेडीकेटेड का मराठी में अर्थ होता है समर्पित। किसे समर्पित? किसी कार्य के लिए अथवा किसी विषय के लिए खुद को झोंक देने वाला व्यक्ति! त्यागी व्यक्ति! एक पैसे की अपेक्षा न रखते हुए किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए जूझने वाला व्यक्ति! डेडिकेटेड का ऐसा अर्थ देखते हुए सरकार द्वारा नियुक्त डेडिकेटेड आयोग का एक भी सदस्य इस कसौटी पर खरा उतरेगा क्या? इनमें से एक भी सदस्य ने ओबीसी आरक्षण पर एकाध खोजपरक पुस्तक अथवा लेख लिखा है क्या? ओबीसी विषय पर एकाध व्याख्यान अथवा एकाध शोध प्रबंध  प्रस्तुत किया है क्या? विशेषज्ञ तो बहुत दूर की बात है, कम से कम कालेलकर आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट भी पढ़ा है क्या?ठीक है, सरकार कहती है इसलिए हम भी उसे डेडीकेटेड आयोग ही कहेंगे। डेडीकेटेड होने के कारण कम से कम वे तो नौटंकी का खेल न खेलें ऐसी अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं किन्तु उन्होंने अभी अभी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जो आवेदन मंगाने का काम किया है वह किसी नौटंकी से कम नहीं। **पुणे मुंबई के एसी कमरों में बैठकर विविध संगठनों की तरफ से आवेदन लेकर कैसा इंपेरिकल** **डेटा इकट्ठा होने वाला है?** अनेक संगठनों ने आयोग को भेजने के लिए जो आवेदन तैयार किया है मार्गदर्शन के लिए मेरे पास भेजा है वह मैंने पढ़ा उसमें किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं है न कोई आंकड़ेवारी एवं उससे संबंधित कोई जानकारी भी नहीं। ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण कैसे महत्वपूर्ण है वही इन आवेदनों में लिखा गया है कइयों ने तो अपने आवेदन में सीधे पांच हजार साल का शोषण का इतिहास ही बता दिया है। प्रत्यक्ष डेटा इकट्ठा करने के बजाय केवल आवेदन इकट्ठा करने की यह नौटंकी अर्थात टाइमपास है। इसके पहले भी मराठा आरक्षण के लिए **"राणे समिति"** ने भी ऐसे ही आवेदन इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। हाईकोर्ट ने राणे समिति भी बोगस उसकी रिपोर्ट भी बोगस करार देकर रद्द कर दिया था। इंपेरिकल शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव जन्य ज्ञान। वह आवेदनों से कैसे मिलेगा? बिना उदाहरण के समझ में नहीं आयेगा इसलिए एक उदाहरण देता हूं –दूर कहीं धुंआ उठते देखकर हम ताबड़तोड़ कहते हैं वहां आग लगी होगी इसलिए धुंआ उठ रहा है, वहां आग लगने का जो ज्ञान हमें होता है वह तर्कजन्य ज्ञान होता है क्योंकि हमने केवल तर्क के आधार पर देखा कि वहां आग लगी हो सकती है, उसे हम अनुभव जन्य (इंपेरिकल) ज्ञान नहीं कह सकते। **अनुभव जन्य (इंपेरिकल) ज्ञान के लिए जहां से धुंआ उठ रहा है हमें वहां प्रत्यक्ष जाकर ही देखना** **पड़ेगा कि धुंआ आग से ही निकल रहा है या केवल धुरकंड है,** आग लगी है तो कितनी आग लगी है? कितना फैलने वाली है? कितना नुकसान करनेवाली है? किसका नुकसान करनेवाली है? उसे बुझाने के उपाय क्या? जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा कितना और कैसे देना है इत्यादि जानकारी इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, उसपर उपाय योजना करने के लिए कृति कार्यक्रम का सुझाव देना आदि कर्तव्य पूरा करना अर्थात "डेडीकेटेड कमीशन "।**इंपेरिकल डेटा संगठनों के आवेदनों से नहीं मिलेगा, वह डेटा है ग्रामसेवकों की जेब में, लेखपाल,** **कानूनगो, तहसीलदार की फाइलों में, सरपंचों के दिमाग में व नगरपालिका महानगरपालिका के** **आयुक्त कार्यालय में!** मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि उपरोक्त सरकारी कर्मचारी अधिकारी व राजकीय पदों पर बैठे लोगों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके उन्हें प्रशिक्षण दो! प्रश्नावली दो ! इस तरह परफेक्ट इंपेरिकल डेटा इकट्ठा होगा। ऐसा शिविर लगाने के लिए मैनपावर लगेगा , जगह जगह पहुंचने के लिए गाड़ियां लगेंगी, डेटा जमा करने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप, साफ्टवेयर व हार्डवेयर सहित उसके विशेषज्ञ लगेंगे और इन सबके लिए पैसा लगेगा। ठीक यहीं पर अड़ंगा लगाया जाता है, पैसे देने वाला वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास है और अजीत पवार से पैसे मांगने की हिम्मत आज किसी विधायक - सांसद - मंत्री के पास नहीं है।ओबीसी को जब भी कुछ थोड़ा बहुत देने का समय आया तो प्रस्थापित उससे निकल भागने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन देना तो पड़ता ही है संविधान में ही बाबा साहेब ने इस तरह की कुछ व्यवस्था की है, न्यायालय वह देने से इन्कार नहीं कर सकते,देना ही पड़ता है किन्तु देते समय ऐसा अड़ंगा लगाया जाता है कि वह लेने में अनंत अड़चनें आएं। 1992 में मंडल आयोग के 27% आरक्षण को वैध ठहराते हुए सुप्रिम कोर्ट ने नान- क्रीमीलेयर का अड़ंगा लगाया इस अड़ंगे के कारण आजतक लाखों ओबीसी तरुणों को नौकरी से वंचित ही रहना पड़ा, **प्रमोशन में आरक्षण लेना है तो क्वांटिफियेबल डेटा का नया** **अड़ंगा लगाया गया है।** पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक आरक्षण मिला किंतु अब उसके साथ इंपेरिकल डेटा का अड़ंगा लगाया गया है।ओबीसी आंदोलन के एजेंडे पर 2021 तक जाति आधारित जनगणना का ही एजेंडा था यह एजेंडा लोग अब भूल गए हैं अब इंपेरिकल डेटा मुख्य एजेंडा हो गया है। जिस के. कृष्णमूर्ति के केस में सुप्रिम कोर्ट के फैसले से इंपेरिकल डेटा का अड़ंगा लगाया गया वह फैसला 2010 में ही आ गया था, उस समय भी पूरे देश में ओबीसी जनगणना के लिए आंदोलन चल रहा था उसे दबाकर इंपेरिकल डेटा को मुख्य एजेंडा बनवाने का षड्यंत्र उसी समय रचा गया था किन्तु उस समय ओबीसी जनगणना आंदोलन सीधे पार्लियामेंट तक पहुंचने के कारण इंपेरिकल डेटा का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका।अब इंपेरिकल डेटा का षड्यंत्र सफल बनाने के लिए पार्लियामेंट को साध लिया गया गया है. 2010 में जो सांसद विधायक पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे थे उन सबको 2020-2021 तक शांत कर दिया गया है। किसी को दुर्घटना में मारकर शांत किया गया तो किसी को ईडी सीबीआई लगाकर शांत किया गया , किसी को जेल में सड़ाकर शांत किया गया । पिछले साल 27 ओबीसी सांसदों को एक दम से मंत्री पद दे दिया गया है, मंत्री पद का लड्डू मुंह में जाते ही पार्लियामेंट में उनका मुंह खुलेगा ही नहीं, **इस प्रकार हर तरफ से बंदोबस्त करने के बाद ही इंपेरिकल डेटा का** **नाटक सामने लाया गया है और वह सफल भी हो रहा है क्योंकि इंपेरिकल डेटा के चक्कर में** **ओबीसी जनगणना का मुद्दा कहीं का कहीं बह गया है।**ओबीसी आरक्षण टिकाने रखने के लिए इंपेरिकल डेटा यह फाइनल उत्तर नहीं है यह सिर्फ एक अड़ंगे के रूप में लाया गया नौटंकी का खेल है। ओबीसी आरक्षण टिकाए रखना है तो कौन सा अचूक उपाय करना पड़ेगा ? इस पर चर्चा हम कल इस लेख के उत्तरार्ध में करेंगे। **लेखक – प्रोफे. श्रावण देवरे**मो-88 301 27 270 मराठी से हिंदी अनुवादचन्द्र भान पाल7208217141

|  |  |
| --- | --- |
|  | ReplyReply allForward |

 |  |
|  |  |  |